उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(गोपनीय शाखा)

:: आदेश ::

ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जिले में पदस्थापित कतिपय डॉक्टर व चिकित्सा कर्मी शाम के बाद मुख्यालय छोडकर अन्य जिला चले जाते है। Disaster Management Act-2005 के तहत इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–286/गो0 दिनांक 06.04.2020 द्वारा जिले में कार्यरत सभी चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी सहित सभी पदाधिकारियों/कमिर्यो को मुख्यालय में ही अनिवार्य रूप से रहने का आदेश निर्गत किया गया है। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल/रेफरल अस्पताल सहित सभी CHC व अन्य अस्पताल अनिवार्य रूप से 24X7 संचालित रहना है।

उक्त के आलोक मे Disaster Management Act-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो के आलोक में पुनः निदेशित किया जाता है कि सभी चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, स्टॉफ आदि अनिवार्य रूप से रामगढ़ जिला में आवासित करना सुनिश्चित करेगें और अपना मुख्यालय आवासीय पत्ता अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगें।

चिकित्सा विभाग का पर्याप्त आवासीय क्वाटर उपलब्ध है, यदि किसी को आवास संबंधी कोई आवश्यकता हो, तो तुरंत नजारत उप समाहर्ता, रामगढ़ से सर्म्पक कर आवास आंवटित करायेंगें। कोई कठिनाईयाँ होने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगें।

भविष्य में मुख्यालय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर Disaster Management Act-2005 के तहत कार्रवाई व महामारी नियंत्रण मे लापरवाही के लिए IPC के सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,

रामगढ़।

ज्ञापांक 309 /गो०   रामगढ़, दिनांक 11/04/2020

प्रतिलिपि :पुलिस अधीक्षक, रामगढ़/उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अपर समाहर्त्ता, रामगढ़/सिविल सर्जन, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/नजारत उप समाहर्ता, रामगढ़/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़/सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ़ जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

11/04/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी

रामगढ़।